रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2010/आषाढ़ 29, 1932

No. 398] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2010/ASADHA 29, 1932

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 606(अ).—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा अपेक्षित तथा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हैं, तो महानिदेशक, नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को सम्बोधित किए जाएं;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक.—इन नियमों का नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2010 है ।

2. नियम 29ख का संशोधन.—वायुयान नियम, 1937 (इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 29ख में,—

(i) ''जिससे वायुयान के नौ परिवहन या संसूचना प्रणाली में विघ्न कारित होता हो,'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुकों और स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः :—

''परन्तु कमान पायलट, विमान के अवतरण और सक्रिय धावनपथ को पार करने के पश्चात् विमान के यात्रियों द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकता है सिवाय तब जब निम्न दृश्यता परिस्थितियों में विमान अवतरण करता हो, जैसाकि महानिदेशक द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए :

परन्तु आगे यह भी कि इस नियम के प्रावधान संवहनीय वाग्संकक, श्रवण-सहाय, हृदयगति नियामक, विद्युत उस्तरा या अन्य किसी संवहनीय इलैक्ट्रानिक युक्तियों को लागू नहीं होंगे जो प्रचालक की राय में उस वायुयान की नौ परिवहन या संसूचना प्रणाली में विघ्न कारित नहीं करती है जिस पर वह प्रचालित की जानी है और जिसके लिए प्रचालक ने महानिदेशक का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया है ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों हेतु, विमान को उड़ान पर तब समझा जाएगा जब आरोहण के पश्चात् उसके सभी बाहरी दरवाजे बंद हों, उस समय तक जब अवरोहण हेतु ऐसा कोई दरवाजा खोला जाए ।''

[फा. सं. एवी. 11012/5/2010-ए]

एन. राधाकृष्णन, अवर सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 8 अप्रैल, 2010 की सं. सा.का.नि. 297(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2010 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2010

G.S.R. 606(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objection or suggestion, if any, may be sent to the Director General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2010.

2. Amendment of rule 29B.—In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 29B,—

(i) the words "which may cause interference with the navigation or communication system of the aircraft" shall be omitted;

(ii) for the proviso, the following provisos and the Explanation shall be substituted, namely :—

"Provided that the Pilot-in-Command may permit the use of cellular telephone by the passengers of a flight after the aircraft has landed and cleared active runway, except when the landing takes place in low visibility conditions as may be determined by the Director-General from time to time:

Provided further that the provisions of this rule shall not apply to portable voice recorders, hearing aids, heart pacemaker, electric shavers or other portable electronic devices which, in the opinion of the operator, do not cause interference with the navigation or communication system of the aircraft on which it is to be operated and for which such operator has obtained approval of the Director-General.

Explanation.—For the purposes of this rule, an aircraft shall be deemed to be in flight when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation."

[F. No. AV. 11012/5/2010-A]

N. RADHAKRISHNAN, Under Secy.

Note.—The principal rules were published in the Official Gazette *vide* Notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by number G.S.R. 297(E), dated the 8th April, 2010 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.